8718

राजकीय लोक अदालत दौसा

न्याय आपके द्वार 2018

पत्रावली राजकीय लोक अदालत कैम्प में जोधपुरा में पेश हुई प्रार्थी ने मूल वाद दावा डिक्री हो चुका है। मूलवाद दावा डिक्री होने के पश्चात प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र आरजी निष्पादन इबारत दिया जाता है। इस संबंध में नियम अनुसार पक्षकारान से कहा है कि जो डिक्री प्रार्थी लेना चाहते हैं वे मूल दावा में लावें। निर्णय राजकीय लोक अदालत कैम्प में जोधपुरा में मालूम आम में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

न्यायिक अधिकारी
दौसा